

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर)

क्रमांक: एफ.18(245)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021-22/02-47

दिनांक :- 01/04/22

परिपत्र

पी.एम.के.एस.वाई 2.0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 145 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के भू-संसाधन विभाग, के पत्रांक K-11011/20/2022-WDC 2.0/Rajasthan दिनांक 19.01.2022 द्वारा जारी की गयी है। योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 20.4 में 25 प्रतिशत फ्लैक्सी फण्ड का प्रावधान किया गया है तथा फ्लैक्सी फण्ड का उपयोग एस.एल. एस.सी. के अनुमोदन उपरांत अनुमत किया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण विकास घटक) 2.0 की स्वीकृत परियोजनाओं में फ्लैक्सी फण्ड निर्धारण के संबंध में 09.03.2022 को निदेशालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना के आई.एण्ड सी.बी., जीविकोपार्जन एवं उत्पादन गतिविधि मदों में से 25 प्रतिशत राशि योजना अवधि के दौरान फ्लैक्सी फण्ड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको कि योजना की मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार व्यय किया जायेगा।

स्वीकृत परियोजनाओं की डी.पी.आर. के निर्माण हेतु उक्त तीनों गतिविधियों में 25 प्रतिशत फ्लैक्सी फण्ड का प्रावधान रखते हुए संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार Head Wise And Year Wise Percentage Breakup का पालन करते हुए डी.पी.आर. बनाना सुनिश्चित करें।

(आशीष गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक: एफ.18(245)/निजभूसं/पीएमकेएसवाई/2021-22/02-47
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

दिनांक :- 01/04/22

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, (अभियांत्रिकी/आईडब्ल्यूएमपी) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी. को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त आदेश की प्रति देकर अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
8. संयुक्त निदेशक, एम.आई.ई.एस. मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर पी.एम.के.एस.वाई. 2.0 लिंक अन्तर्गत उक्त आदेश को अपलोड करने का श्रम करावें।


संयुक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)

परिशिष्ट २

HEAD WISE AND YEAR WISE PERCENTAGE BREAKUP FOR WDC-PMKSY-2.0								
S.No	Major Head	Sub Head	Total %	Yearwise Percentage				
				I YR	II YR	III YR	IV YR	V YR
1	Administrative	Management Cost	10.00%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2		Monitoring	1.00%	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
3		Evaluation	1.00%	0.00	0.00	0.40		0.60
4	Preparatory Phase	Entry Point Activity	2.00%	2.00				
5		DPR Preparation	1.00%	0.50	0.50			
6		Institution & Capacity Building	2.25%	0.30	0.95	1.00		
		Flexi Fund of I & CB	0.75%	0.00	0.25	0.25	0.25	
		TOTAL I & CB	3.00%	0.30	1.20	1.25	0.25	0.00
7	Works Phase	Natural Resource Management	47%	15.00	12.10	11.10	8.80	
8		Natural Resource Management & Governance	2%	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
9		Livelihood Activities for the Asset less Persons Micro Enterprises & Business Development	11.25%	2.00	3.00	4.00	1.00	1.25
		Flexi Fund of Livelihood Activities	3.75%	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25
		Sub Total Livelihood Activities	15.00%	2.00	4.25	5.25	1.00	2.50
10		Production System	11.25%	3.00	3.00	3.00	1.25	1.00
		Flexi Fund of Production System	3.75%	0.00	1.25	1.30	0.00	1.20
		Sub Total Production System	15.00%	3.00	4.25	4.30	1.25	2.20
11	Consolidation & Withdrawal Phase	Consolidation	3.00%	0.00			1.00	2
		GROSS TOTAL	100%	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00